2/3/20 पत्रावली पेशी पर ली गई। वादी वकील उप0

वादी वकील ने प्रा0 पत्र 0 47 R 1 CPC पेश

किया जो मिसिल के शामिल की गई। T.D.R. (तहसील

रिपोर्ट मिसिल के शामिल की गई। का पत्र पर बहस

सुनी गई। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते

हुये संशोधित निर्णय आलोक मिलान कर मिसिल

के शामिल किया गया। खुले न्यायालय में

सुनाया गया। तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर, [illegible]

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—310 / 2019

प्रार्थीगणः—

1. बुधाराम पुत्र श्री कुंभाराम
2. प्रहलादराम पुत्र श्री कुंभाराम
3. मूलाराम पुत्र श्री कुंभाराम

जातियान जाट निवासी लक्ष्मीनारायणनगर पांचला खुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थीगणः—

1. घेवरराम पुत्र श्री बगताराम
2. आदुराम पुत्र श्री बगताराम
3. कोजाराम पुत्र श्री बगताराम
4. भंवराराम पुत्र श्री पेमाराम
5. पप्पुराम पुत्र श्री पेमाराम
6. तेजाराम पुत्र श्री पेमाराम
7. सोनाराम पुत्र श्री हीराराम
8. सुखाराम पुत्र श्री हीराराम
9. गंगाराम पुत्र श्री हीराराम
10. गजु पत्नी श्री हीराराम
11. मोहनराम पुत्र श्री धोकलराम फौत के कायम मुकाम मदनलाल पुत्र श्री मोहनराम
12. खमा पुत्री श्री मांगीलाल
13. केवलकी पुत्री श्री मांगीलाल
14. ओमी पुत्री श्री मांगीलाल
15. किरण पुत्री श्री मांगीलाल
16. सोनी पत्नी श्री मुनाराम
17. माणकलाल पुत्र श्री भंवरराम

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

18. भैराराम पुत्र श्री भंवरराम

19. नरसिंगाराम पुत्र श्री उदाराम

20. अणदाराम पुत्र श्री उदाराम

21. अचलाराम पुत्र श्री उदाराम

22. गुणेशाराम पुत्र श्री सिमरथाराम

23. भंवरराम पुत्र श्री सिमरथाराम

24. सायर पुत्री श्री नुकराराम

25. गुड्डी पुत्री शंकरराम

26. रेखा पुत्री शंकरराम

27. विमला पुत्री शंकरराम

28. मनोहरी पुत्री शंकरराम

अप्रार्थी संख्या 26 से 28 नाबा. वली माता श्रीमति अणची पत्नी श्री शंकरराम

29. अणची पत्नी श्री शंकरराम

जातियान दर्जी निवासी लक्ष्मीनारायणनगर पांचला खुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

30. मुनाराम पुत्र श्री कुम्भाराम

31. अखाराम पुत्र श्री कानाराम फौत के कायम मुकाम

31/1 शेराराम पुत्र श्री अखाराम

31/2 गैनाराम पुत्र श्री अखाराम

31/3 अमाराम पुत्र श्री अखाराम

31/4 चोलाराम पुत्र श्री अखाराम

31/5 शिवनाथराम पुत्र श्री अखाराम फौत के वारिस

31/5/1 सवाईराम पुत्र श्री शिवनाथराम

31/5/2 भंवरराम पुत्र श्री शिवनाथराम

31/5/3 उमेश पुत्र श्री शिवनाथराम

जातियान जाट निवासी लक्ष्मीनारायणनगर पांचला खुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

32. श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Scanned by CamScanner

उपस्थित –

प्रार्थी – अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी

प्रतिवादी संख्या 1 से 31 एकपक्षीय।

प्रतिवादी संख्या 32 की ओर से सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 2/3/2020

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार आदेश में संशोधन किया जाता है।

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 30 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 450 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा मौजा ग्राम लक्ष्मी नारायणनगर पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से की भूमि पर एक काश्तकार की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण के उक्त भूमि के उत्तर–पूर्वी दिशा में थोड़ी दूरी पर सड़क चलती है। प्रार्थीगण की भूमि व सड़क के मध्य खसरा नम्बर 447/1 रकबा 55 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 447 रकबा 55 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है। इस भूमि के उत्तरी तरफ सडक चलती है। जिस तक आवागमन हेतु प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की भूमि में से एक रास्ता चलता है जो कि प्रार्थीगण के खेत से सबसे नजदीक निकटतम व लघुतम है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 450 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं चलता है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण के खेत के उत्तर पूर्वी दिशा में आई हुई है उक्त भूमि की उत्तरी सीमा पर सडक चलती है एवं नजरी नक्शे में दर्शाये गया रास्ता ए से बी प्रार्थीगण का लघुतम व निकटतम रास्ता है। उक्त रास्ता पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए अप्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से उक्त रास्ते को बन्द कर देता है जिससे प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर, पीपाड़

को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण को मजबूरन यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ते हेतु भूमि बाबत् प्रतिकर निर्धारित करने पर प्रार्थीगण प्रतिकर देने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 450 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा ग्राम लक्ष्मी नारायणनगर में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 55 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 447/1 रकबा 55 बीघा 05 बिस्वा में से 20 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार दिये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 31 की ओर से कोई उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 से 31 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तलब की गई। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 450 ग्राम लक्ष्मीनारायणनगर की अपनी खातेदारी भूमि में सपरिवार मकान कच्चे पक्के ढाणियों में निवास करते है। जिसमें जाने का पक्का रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 450, 447, 447/1 के उत्तर पूर्व की तरफ वर्तमान में लक्ष्मीनारायणनगर डामर रोड़ चल रही है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 450 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 447/1 में से नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार 20X765 फीट (17 बिस्वा) रास्ता लक्ष्मीनारायणनगर डामर रोड़ तक पहुंचने हेतु मांग की है। नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार मौके पर एक मकान (16फीट दूर) व एक छोटा मन्दिर बना हुआ है। खसरा संख्या 450 में आने जाने के अन्य निकटतम रास्ते का अभाव है।

यह है कि वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस पर मनन

सहायक कलेक्टर, कोटकासिम

Scanned by CamScanner

किया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि में रहवासीय मकान, ढाणियां बनी हुई है जिसमें प्रार्थीगण सपरिवार निवास करते है तथा अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया है अर्थात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अखण्डनीय है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। जो दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर मनन कर किया गया तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि में से 15 फिट रास्ता दिया जाना उचित है। जिसका रकबा 13 बिस्वा भूमि बनती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 450 ग्राम लक्ष्मीनारायणनगर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 447/1 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा में से 15 फीट चौड़ा रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार घोषित किया जाता है जिसका रकबा 13 बिस्वा बाबत् वर्तमान डी.एल.सी. की दो गुना दर से प्रतिफल की राशि प्रार्थीगण से जमा की जाकर तहसीलदार तिंवरी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शा ट्रेश में तरमीम की कार्यवाही करें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को पत्र जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 2/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner